IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, September 2025
Impact Factor: 7.67

# eÅxat fo/kkulHkk ds fuokZpuksa esa ernku O;ogkj ,oa 1980 ds iwoZ fuokZpu ds ernku O;ogkj dk rqyukRed fo'ys"k.k

**vk'kqrks"k ik.Ms;**
अतिथि विद्वान्, राजनीति विज्ञान विभाग
प्रधानमंत्री कालेज ऑफ एक्सीलेन्स
शास. संजय गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)

**'kks/k&lkjka'k %&**

भारतीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता के पश्चात् हमने अपने भारतीय संविधान के माध्यम से लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। इस प्रकार हमारे देश में सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथों में है, किन्तु भारतीय जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। इस विषय के अध्ययन के पीछे मूल उद्देश्य मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 1980 के पूर्व में मतदाताओं के मतदान व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन (मऊगंज विधानसभा के विशेष संदर्भ में) मतदान के प्रति रुझान, मतदान प्रक्रिया का ज्ञान तथा मताधिकार का प्रयोग से जुड़ा है। बढ़ती हुई राजनैतिक चेतना के वातावरण में राजनैतिक शक्ति के महिला/पुरुष मतदाता होते हैं वरन् आगे आने वाले समय के लिये एक अच्छे राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी है। शोधार्थी का राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर होने के नाते यह जानना स्वाभाविक रहा कि सत्ता निर्माण में पुरुष/महिलाओं की क्या भूमिका होती है ? जो कि एक व्यवहारवादी उपागम का भाग बनता है। प्रस्तुत शोध आलेख में उल्लेख किया है।

**izLrkouk %&**

20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राजनीतिक विज्ञान का सबसे प्रखर बिन्दु शोध एवं अनुसन्धान की दृष्टि से मानव व्यवहार के राजनैतिक पक्षों को रेखांकित करना है। मानव व्यवहार के राजनैतिक पक्षों का प्रभाव राष्ट्रों के राजनैतिक निर्णय में पड़ता है, क्योंकि राष्ट्र का राजनैतिक आचरण राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के आचरण का व्यापक एवं परिष्कृत स्वरूप है, जो समग्र रूप में अधिक संवेदनशील पक्ष है, जो विश्व के राष्ट्रों के राजनैतिक आचरण और व्यवहार के संदर्भ में गहन अनुसंधान और शोध के लिये मार्ग प्रशस्त करता है।

भारत में इस अतिमहत्वपूर्ण पक्ष के अध्ययन अनुसंधान और विश्लेषण के लिये चुनाव आयोग एक स्वतंत्र अर्द्धकानूनी एवं अर्द्धन्यायिक निकाय माना जाता है। निर्वाचन आयोग का यह दर्जा संविधान के अन्तर्गत सुरक्षित है। इन वर्णित मान्यताओं के तहत इस विषय का चयन अध्ययन के लिये सुनिश्चित किया गया है। साथ ही व्यवहारवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करना व विभिन्न शोध चरणों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना ही शोधार्थी के उद्देश्य की पूर्ति करता है। संविधान की प्रस्तावना में भारतीय शासन व्यवस्था के उन आधार तत्वों का वर्णन किया गया हैं, जो अभीष्ट रूप से संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुई है।

भारतीय संविधान की अन्तर्रात्मा, न्याय समता अधिकार और बन्धुत्व के भाव से अभिसिंचित है। सामाजिक, आर्थिक और

ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 1, September 2025 Impact Factor: 7.67

राजनीतिक न्याय हमारे संविधान की नियामक महत्वाकाक्षाओं में से एक है। शोध–प्रबंध के संदर्भ में प्रजातंत्र में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका होती है? उसका गठन किस प्रकार किया गया है? निर्वाचन आयोग सरकार के किस निकाय (संस्था) के अधीन कार्य करता है? उसके क्या अधिकार एवं दायित्व हैं? आदि विषयों पर प्रकाश डालने के पूर्व भारत में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा है? उसके क्या उद्देश्य हैं? नागरिकों के क्या अधिकार एवं कर्तव्य हैं ? तथा लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग के प्रति केन्द्र एवं राज्यों के क्या दायित्व हैं आदि विषयों पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालाना आवश्यक है।

भारत सन् 1947 से दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्रिक देश है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषणा की गयी है। प्रजातंत्र संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति **vckfge fyadu** ने प्रजातंत्र की परिभाषा निम्न शब्दों में किया है **^^iztkra= turk }kjk turk ds fy, turk dk 'kklu gSA**

भारत एक ऐसा देश है, जिसकी आत्मा में प्रजातंत्र निवास करता है। संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित (समाविष्ट) किया गया है। प्रस्तावना वास्तव में अधिनियम का दर्पण होती है। **U;k;efrZ lCckjko**[1] के शब्दों में –''प्रस्तावना को अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का प्रतीक है।'' ठीक यही बात संविधान पर भी लागू होती है। संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान की प्रस्तावना में सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों का आह्वान किया गया है। उपरोक्त सभी बातों को संविधान के स्वरूप को संकेत देती है।

प्रस्तावना से मुख्य रूप से दो संकेत मिलते हैं–1. संविधान का स्त्रोत। 2. संविधान का उद्देश्य। संविधान के प्रस्तावना से संविधान के स्त्रोत का संकेत मिलता है। प्रस्तावना के प्रारम्भ में **^^ge Hkkjr ds yksx**** से होता है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत के संविधान का स्त्रोत भारत की जनता है। इसका निर्माण भारत की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा द्वारा किया गया है। प्रस्तावना में संविधान के स्वरूप का पता चलता है–सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को प्रकट करती है। इस प्रकार संविधान का लक्ष्य है–सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक न्याय प्रदान करना। विचार, मत, विश्वास तथा धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करना। पद एवं अवसर की स्वतंत्रता प्रदान करना। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने वाली बन्धुता स्थापित करना।

वास्तव में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना ये तीनों त्रिकोणीय रूप से मिश्रित हैं; जिन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भारत का लोकतंत्र संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। किन्तु लोकतंत्र का अस्तित्व तभी बना रहेगा जबकि निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र का जीवन का आधार केवल निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन ही है। भय, दबाव एवं प्रलोभन के चुनाव केवल नाममात्र के चुनाव होते हैं। ऐसे चुनाव केवल नाटक एवं ढकोसला बनकर रह जाते हैं। **jtuh dksBkjh** के शब्दों में, ''कुल मिलाकर जाति और जातीय संगठनों ने भारतीय राजनीति में वही भूमिका निभाई है, जो पश्चिमी देशों में विभिन्न हितों व वर्गों के संगठनों ने।''

अतः सही मायने में लोकतंत्र का दावा करने वाले देशों में निर्वाचन का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना आवश्यक है। भारत एक ऐसा देश है, जिसकी आत्मा में प्रजातंत्र निवास करती है। यहाँ निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होता है। यहाँ गरीब–अमीर, शिक्षित–अशिक्षित सभी को समान मताधिकार प्राप्त है। यही कारण है कि गरीब व्यक्ति भी राष्ट्रपति जैसे–सर्वोच्च पद पर पदासीन हो सकता है। निर्वाचन नागरिकों का एक विशेषाधिकार है, जिसके माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर गरीब व्यक्ति भी शक्तिशाली स्थान पर पहुँच सकता है।


DOI: 10.48175/IJARSCT-28950

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह कहा जा सकता है कि निर्वाचन के लिए मतदान व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण मानक है। मतदान व्यवहार समय सापेक्ष परिवर्तित होते रहने वाली इकाई है जिसमें कभी क्षेत्रीयता, कभी जातीयता तो कभी राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे तो कभी प्रदेश की शासन नीति प्रभावशाली होती है। मतदान व्यवहार चुनाव प्रबन्धन के कारण भी प्रभावित होते हैं जिनमें प्रमुख मतदाताओं को स्वप्निल स्वप्ने दिखाकर गुमराह करते हुए अपने साथ संवेदना जोड़ने और पक्ष में मतदान कराकर निर्वाचन में विजयी बनने के तरीके अपनाये जाते हैं यह प्रयोग स्थानीय निर्वाचन और प्रान्तीय निर्वाचन में बहुधा देखने को मिलता है।

जिनके माध्यम से निर्वाचन के परिणाम विविधमुखी होते हैं लोकतंत्रीय पद्धति में चुनाव मूलतः राष्ट्रीय, राज्यीय एवं स्थानीय दलों द्वारा अपने प्रत्याशियों को निर्वाचन में उतारकर लड़े जाते हैं। लोकतंत्रीय व्यवस्था में सबको समान अधिकार मिलने की व्यवस्था होने के तहत ऐसे महत्वाकांक्षी लोग निर्वाचन में भाग लेना चाहते हैं परन्तु किसी राजनैतिक दल द्वारा उन्हें सहमति नहीं मिलती तो वे स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतरते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मान्य और प्रतिष्ठित राजनीतिक दलों के प्रत्याशी निर्वाचन में सफल होते हैं ऐसे प्रत्याशी जिनकी जनमानस में छवि अच्छी होती है लोगों के द्वारा यह महसूस किया जाता है कि निदिष्ट प्रत्याशी दलीय प्रत्याशी से ज्यादा योग्य हैं और इनका राजनैतिक चिंतन प्रखर है तो उसे अपना मत देकर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विधानसभा एवं लोक सभा में प्रदान कर देते हैं।

## 'kks/k i{fof/k &

प्रस्तुत शोध पत्र में मतदाताओं के मतदन व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वितीय स्रोतों पर आधारित तालिकाओं एवं आरेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जो मऊगंज विधानसभा पर केन्द्रित है।

## 0;k[;k %&

प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव वर्ष 1980 के पूर्व में मतदाताओं के मतदान व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन मऊगंज विधानसभा के विशेष संदर्भ में केन्द्रित है। रीवा जिले के प्रभावी विधानसभा मऊगंज का निर्वाचन और मतदाताओं का निर्णय लीक से हटकर रहा है। यहाँ विजयी होने वाले प्रत्याशी आवश्यक नहीं कि वे राष्ट्रीय दलों से हों। जिसका विवरण विभिन्न पंचवर्षीय निर्वाचनों के परिणामों में देखा जा सकता है—

**rkfydk Øekd 6-1**

**fo/kkulHkk eÅxat fuokZpu fooj.k**

**fuokZpu o"kZ 1957**

| Øekd | iR;k'kh dk uke | jktuhfrd ny | izkIr er | izkIr er izfr'kr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अच्युतानंद मिश्र | कांग्रेस | 7597 | 13.83 |
| 2 | सोमेश्वर सिंह | निर्दलीय | 7500 | 13.65 |
| 3 | सहदेव | निर्दलीय | 6639 | 12.09 |
| 4 | जगदीश प्रसाद | निर्दलीय | 5386 | 9.81 |
| 5 | भुवनेश्वर प्रसाद | आरआरपी | 5267 | 9.59 |
| 6 | जगदीश | निर्दलीय | 4736 | 8.62 |

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, September 2025
Impact Factor: 7.67

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | पूडू | निर्दलीय | 4594 | 8.36 |
| 8 | सहदेई | निर्दलीय | 2867 | 5.22 |
| 9 | केसरी सिंह | पीएसपी | 2770 | 5.04 |
| 10 | बृजबासी | बीजेएस | 1938 | 3.53 |
| 11 | शिव बिहारी | निर्दलीय | 1736 | 3.16 |
| 12 | रमोल | पीएसपी | 1355 | 2.47 |
| 13 | साधू | निर्दलीय | 1338 | 2.44 |
| 14 | बदका | निर्दलीय | 1206 | 2.20 |

**Source:-** Election Commission of India-State Election, 1957 to the Legislative Assembly Of Madhya Pradesh

| पंजीकृत मतदाता | कुल मत | मत प्रतिशत | वैध मत |
|---|---|---|---|
| 98254 | 54929 | 55.91 | 54929 |

**Source:-** Election Commission of India-State Election, 1957 to the Legislative Assembly Of Madhya Pradesh

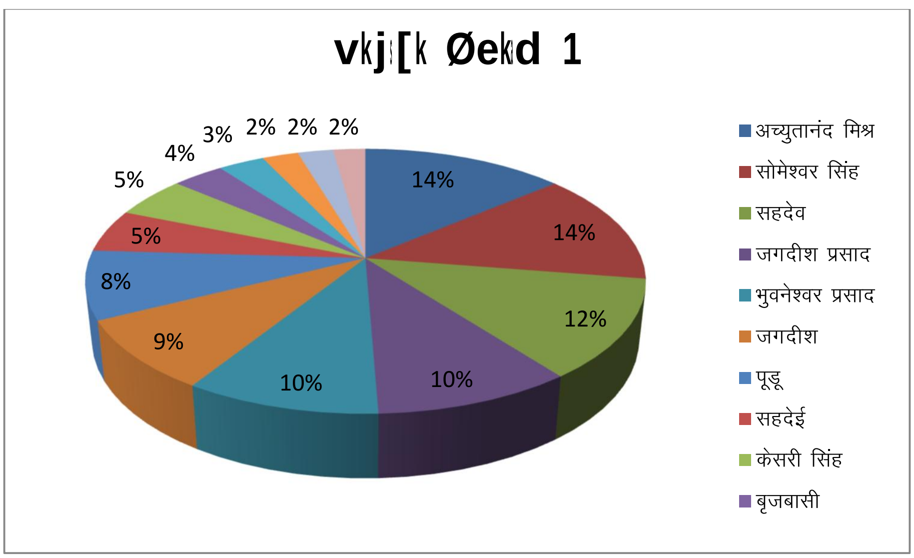


तालिका क्रमांक 1 में निर्वाचन वर्ष 1957 के विधानसभा निर्वाचन का विवरण दिया गया है। विवरण से ज्ञात होता है कि निर्वाचन में कांग्रेस प्रत्याशी अच्युतानन्द विजय हुए उन्हें 7597 मत मिले जो कुल मतों का 13.83 प्रतिशत रहा जबकि उनके निकट प्रतिद्वन्दी सोमेश्वर सिंह रहे जो स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव में भाग लिए उन्हें 7500 मत प्राप्त हुए जिनका मत प्रतिशत 13.65 प्रतिशत रहा। निर्वाचन में कुल 14 प्रत्याशी चुनाव में उतरे जिनका मत प्रतिशत काफी कम रहा।

IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429

Volume 5, Issue 1, September 2025

Impact Factor: 7.67

rkfydk Øekd 2

fo/kkulHkk fuokZpu fooj.k

fuokZpu o"kZ 1962

| Øekd | iR;k'kh dk uke | jktufrd ny | iklr er | iklr er ifr'kr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | छोटेलाल | कांग्रेस | 5527 | 52.56 |
| 2 | कलुवा | आरआरपी | 1339 | 12.73 |
| 3 | कुंवारे | जेएस | 1187 | 11.29 |
| 4 | सहदेई | समाजवादी | 950 | 9.03 |
| 5 | बुद्धी | निर्दलीय | 624 | 5.93 |
| 6 | छोटका | एचएमएस | 497 | 4.73 |
| 7 | भरोसा | निर्दलीय | 229 | 2.18 |
| 8 | साधू | पीएसपी | 163 | 1.55 |

**Source:-** Election Commission of India-State Election, 1962 to the Legislative Assembly Of Madhya Pradesh

| पंजीकृत मतदाता | कुल मत | मत प्रतिशत | वैध मत |
|---|---|---|---|
| 52504 | 11330 | 21.58 | 10516 |

**Source:-** Election Commission of India-State Election, 1962 to the Legislative Assembly Of Madhya Pradesh

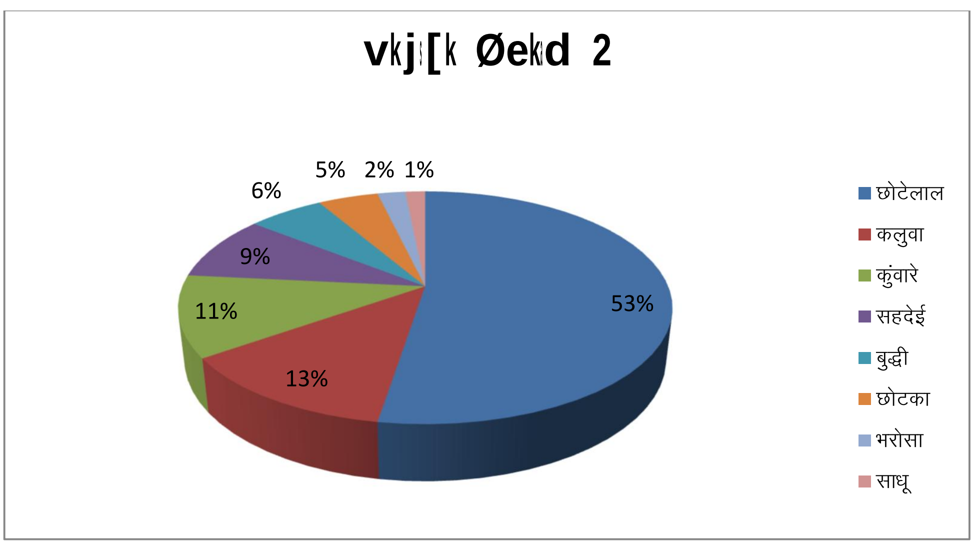


तालिका क्रमांक 2 में निर्वाचन वर्ष 1962 के विधानसभा निर्वाचन का विवरण दिया गया है। विवरण से ज्ञात होता है कि निर्वाचन में कांग्रेस प्रत्याशी छोटेलाल विजय हुए उन्हें 5527 मत मिले जो कुल मतों का 52.56 प्रतिशत रहा जबकि उनके निकट

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, September 2025
Impact Factor: 7.67

प्रतिद्वन्दी कलुआ रहे जो आरआरपी से प्रत्याशी के रूप में चुनाव में भाग लिए उन्हें 1339 मत प्राप्त हुए जिनका मत प्रतिशत 12.73 प्रतिशत रहा। निर्वाचन में कुल 08 प्रत्याशी चुनाव में उतरे जिनका मत प्रतिशत काफी कम रहा। इस निर्वाचन की खाशियात यह रही कि विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही।

**rkfydk Øekd 3**

**fo/kku lHkk fuokpu fooj.k**

**fuokpu o"k 1967**

| Øekd | iR;k'kh dk uke | jktufrd ny | ikIr er | ikIr er ifr'kr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जे. प्रसाद | निर्दलीय | 12578 | 41.93 |
| 2 | आर.डी. मिश्रा | कांग्रेस | 12205 | 40.69 |
| 3 | ए. नंद | एसएसपी | 2009 | 10.03 |
| 4 | बी. प्रसाद | पीएसपी | 1497 | 4.99 |
| 5 | एस.एल. सिंह | बीजेएस | 706 | 2.35 |

**Source:-** Election Commission of India-State Election, 1967 to the Legislative Assembly Of Madhya Pradesh

| पंजीकृत मतदाता | कुल मत | मत प्रतिशत | वैध मत |
|---|---|---|---|
| 61670 | 32650 | 52.94 | 29995 |

**Source:-** Election Commission of India-State Election, 1967 to the Legislative Assembly Of Madhya Pradesh

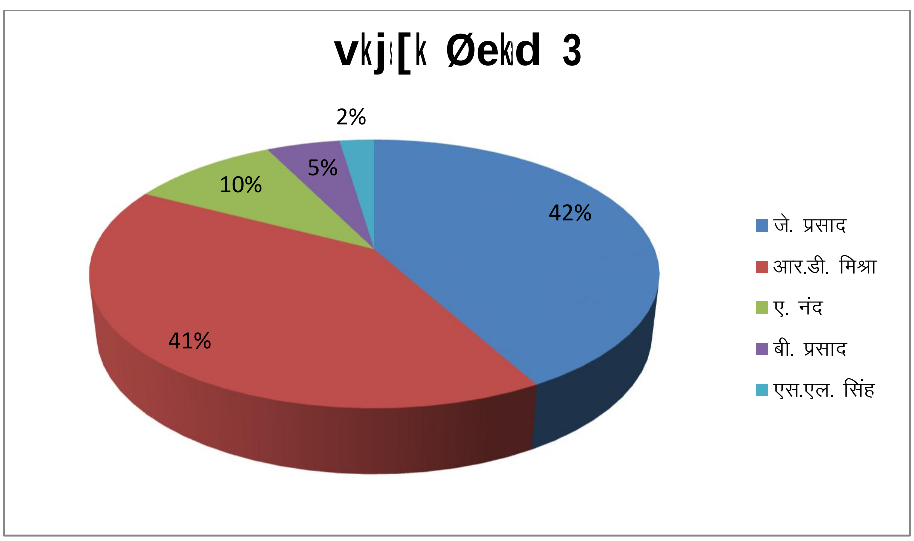


तालिका क्रमांक 3 में निर्वाचन वर्ष 1967 के विधानसभा निर्वाचन का विवरण दिया गया है। विवरण से ज्ञात होता है कि निर्वाचन में स्वतंत्र प्रत्याशी जगदीश प्रसाद विजय हुए उन्हें 12578 मत मिले जो कुल मतों का 41.93 प्रतिशत रहा जबकि उनके

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 1, September 2025 Impact Factor: 7.67

निकट प्रतिद्वन्दी रामधनी मिश्रा रहे जो कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में चुनाव में भाग लिए उन्हें 12205 मत प्राप्त हुए जिनका मत प्रतिशत 40.69 प्रतिशत रहा। निर्वाचन में कुल 05 प्रत्याशी चुनाव में उतरे जिनका मत प्रतिशत काफी कम रहा।

**rkfydk Øekad 4**

**fo/kkulHkk fuokZpu fooj.k**

**fuokZpu o"kZ 1972**

| Øekad | iR;k'kh dk uke | jktuhfrd ny | iklr er | iklr er ifr'kr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रामधनी मिश्रा | निर्दलीय | 13599 | 37.99 |
| 2 | जगदीश तिवारी | कांग्रेस | 10683 | 29.85 |
| 3 | अच्युता नंद मिश्रा | एसओपी | 5995 | 16.75 |
| 4 | अविदेश प्रसाद सिंह | निर्दलीय | 2378 | 6.64 |
| 5 | तेजती सिंह | निर्दलीय | 1331 | 3.72 |
| 6 | बालमुकंद | बीजेएस | 1048 | 2.93 |
| 7 | दिनकर प्रसाद | निर्दलीय | 758 | 2.12 |

| पंजीकृत मतदाता | कुल मत | मत प्रतिशत | वैध मत |
|---|---|---|---|
| 67511 | 37730 | 55.89 | 35792 |

**Source:-** Election Commission of India-State Election, 1972 to the Legislative Assembly Of Madhya Pradesh

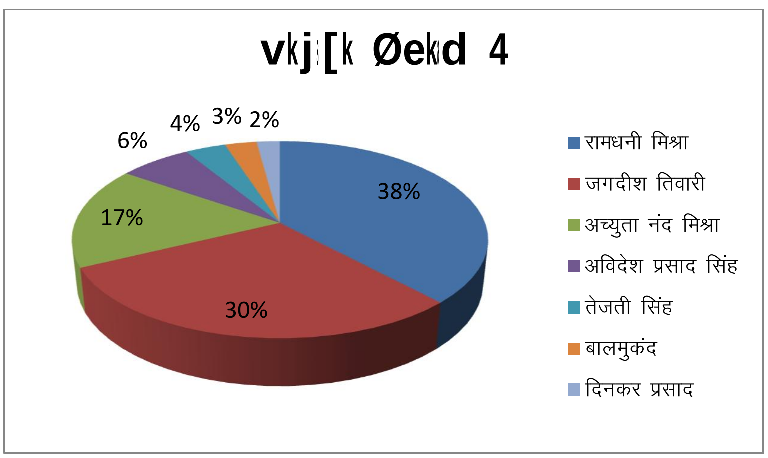


तालिका क्रमांक 4 में निर्वाचन वर्ष 1972 के विधानसभा निर्वाचन का विवरण दिया गया है। विवरण से ज्ञात होता है कि निर्वाचन में स्वतंत्र प्रत्याशी रामधनी मिश्र विजय हुए उन्हें 13599 मत मिले जो कुल मतों का 37.99 प्रतिशत रहा जबकि उनके निकट प्रतिद्वन्दी जगदीश तिवारी रहे जो कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में चुनाव में भाग लिए उन्हें 10683 मत प्राप्त हुए जिनका मत प्रतिशत 29.85 प्रतिशत रहा। निर्वाचन में कुल 07 प्रत्याशी चुनाव में उतरे जिनका मत प्रतिशत काफी कम रहा। इस निर्वाचन

में पूर्व विधायक अच्युतानन्द मिश्र ससोपा से निर्वाचन में भाग लिए उन्हें 5995 अर्थात् 16.75 प्रतिशत मत मिले वे निर्वाचन में तीसरे स्थान पर रहे।

**rkfydk Øekad 5**

**fo/kkulHkk fuokZpu fooj.k**

**fuokZpu o"kZ 1977**

| Øekad | iR;k'kh dk uke | jktuhfrd ny | ikIr er | ikIr er ifr'kr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अच्युता नंद | कांग्रेस | 9940 | 25.49 |
| 2 | केशव प्रसाद पाण्डेय | जेएनपी | 9340 | 23.95 |
| 3 | रामधनी मिश्रा | निर्दलीय | 3748 | 9.61 |
| 4 | जगदीश तिवारी | निर्दलीय | 3213 | 8.24 |
| 5 | अवधेश प्रताप सिंह | निर्दलीय | 2797 | 7.17 |
| 6 | इस्हाक बक्स | बीजेएस | 1873 | 4.80 |
| 7 | कौशल प्रसाद | निर्दलीय | 1537 | 3.94 |
| 8 | राकेश रतन सिंह | निर्दलीय | 1183 | 3.03 |
| 9 | अवसेरी | निर्दलीय | 1121 | 2.88 |
| 10 | वंशमणि प्रसद शुक्ला | निर्दलीय | 999 | 2.56 |
| 11 | तेजबली सिंह | निर्दलीय | 632 | 1.62 |
| 12 | धर्मपाल सिंह | निर्दलीय | 614 | 1.57 |
| 13 | काशीनाथ | निर्दलीय | 567 | 1.45 |
| 14 | नरेन्द्र बहादुर | निर्दलीय | 560 | 1.44 |
| 15 | जगदीश प्रसाद द्विवेदी | निर्दलीय | 224 | 0.57 |
| 16 | इन्द्रजीत प्रसाद पटेल | निर्दलीय | 163 | 0.42 |
| 17 | दिलराज सिंह | निर्दलीय | 151 | 0.39 |
| 18 | सत्यनारायण | निर्दलीय | 131 | 0.34 |
| 19 | हर्षलाल | निर्दलीय | 116 | 0.30 |
| 20 | शिवसागर तिवारी | निर्दलीय | 81 | 0.21 |

**Source:-** Election Commission of India-State Election, 1977 to the Legislative Assembly Of Madhya Pradesh

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 1, September 2025 Impact Factor: 7.67

| पंजीकृत मतदाता | कुल मत | मत प्रतिशत | वैध मत |
|---|---|---|---|
| 74849 | 40470 | 54.07 | 38990 |

**Source:-** Election Commission of India-State Election, 1957 to the Legislative Assembly Of Madhya Pradesh

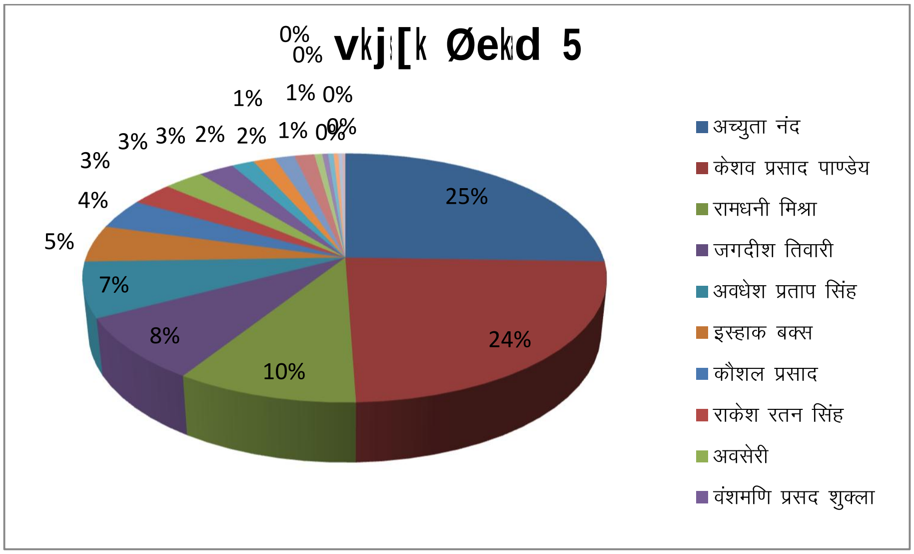


तालिका क्रमांक .5 में निर्वाचन वर्ष 1977 के विधानसभा निर्वाचन का विवरण दिया गया है। विवरण से ज्ञात होता है कि निर्वाचन में कांग्रेस प्रत्याशी अच्युतानन्द मिश्र विजय हुए उन्हें 9940 मत मिले जो कुल मतों का 25.49 प्रतिशत रहा जबकि उनके निकट प्रतिद्वन्दी केशव प्रसाद पाण्डेय रहे जो जनता पाटी से प्रत्याशी के रूप में चुनाव में भाग लिए उन्हें 9340 मत प्राप्त हुए जिनका मत प्रतिशत 23.95 प्रतिशत रहा। निर्वाचन में कुल 13 प्रत्याशी चुनाव में उतरे जिनका मत प्रतिशत काफी कम रहा। इस निर्वाचन में पूर्व विधायक रामधनी मिश्रा स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन में भाग लिए उन्हें 3748 अर्थात् 9.61 प्रतिशत मत मिले वे निर्वाचन में तीसरे स्थान पर रहे। चौथे स्थान पर पूर्व विधायक जगदशी तिवारी रहे जो स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतरे।

**rkfydk Øekd 6**

**fo/kkulHkk fuokZpu fooj.k**

**fuokZpu o"kZ 1980**

| Øekd | iR;k'kh dk uke | jktuSfrd ny | ikIr er | ikIr er ifr'kr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अच्युता नंद मिश्र | कांग्रेस (ई) | 15759 | 38.66 |
| 2 | जगदीश तिवारी मसुरिहा | निर्दलीय | 12454 | 30.55 |
| 3 | तेजबली सिंह | निर्दलीय | 3144 | 7.71 |
| 4 | इस्हाक बक्स | निर्दलीय | 2343 | 5.75 |
| 5 | भगवान दीन | जेएनपी | 1249 | 3.06 |

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, September 2025
Impact Factor: 7.67

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | रघुनाथ सिंह | कांग्रेस (यू) | 1147 | 2.81 |
| 7 | यशोनन्द | जेएनपी (एसआर) | 1142 | 2.80 |
| 8 | जगदीश प्रसाद द्विवेदी | निर्दलीय | 912 | 2.24 |
| 9 | लौटन | निर्दलीय | 646 | 1.58 |
| 10 | विशेषर | निर्दलीय | 627 | 1.54 |
| 11 | वंशमणि प्रसाद | जेएनपी | 558 | 1.37 |
| 12 | राम भावन | बीजेपी | 555 | 1.36 |
| 13 | रामाधार | निर्दलीय | 227 | 0.56 |

**Source:-** Election Commission of India-State Election, 1980 to the Legislative Assembly Of Madhya Pradesh

| पंजीकृत मतदाता | कुल मत | मत प्रतिशत | वैध मत |
|---|---|---|---|
| 83588 | 41898 | 50.12 | 40763 |

**Source:-** Election Commission of India-State Election, 1980 to the Legislative Assembly Of Madhya Pradesh

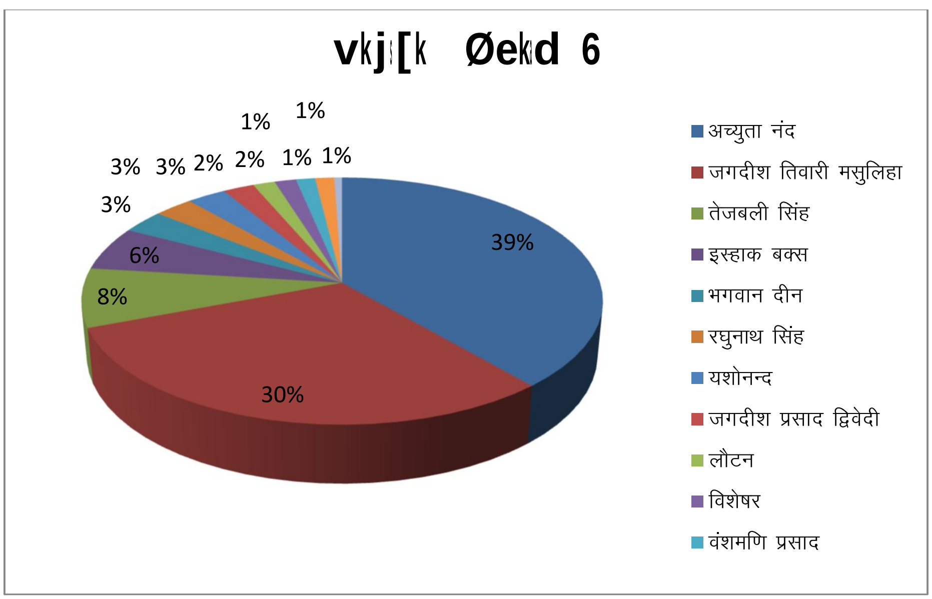


तालिका क्रमांक 6 में निर्वाचन वर्ष 1980 के विधानसभा निर्वाचन का विवरण दिया गया है। विवरण से ज्ञात होता है कि निर्वाचन में कांग्रेस प्रत्याशी अच्युतानन्द मिश्र विजय हुए उन्हें 15759 मत मिले जो कुल मतों का 25.49 प्रतिशत रहा जबकि उनके निकट प्रतिद्वन्दी जगदीश तिवारी मसुरिहा रहे जो स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव में भाग लिए उन्हें 12454 मत प्राप्त हुए जिनका मत प्रतिशत 30.55 प्रतिशत रहा। निर्वाचन में कुल 09 प्रत्याशी चुनाव में उतरे जिनका मत प्रतिशत काफी कम रहा।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, September 2025
Impact Factor: 7.67

I>k0 &

1 मतदान समय में शान्ति और व्यवस्था को बनाने के लिए पर्याप्त सैनिक और अर्द्धसैनिक बलों का अभाव होता है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक हिंसा, लूट–पाट, मतदान केन्द्रों पर कब्जा जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। फलस्वरूप पुनः मतदान की व्यवस्था करनी पड़ती है। अतः यह बिन्दु विचारणीय है। मतगणना के सम्बन्ध भी विश्वसनीयता की स्थिति बननी चाहिए, क्योंकि इस सम्बन्ध में महिला समूह से पर्याप्त शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

2 इस कार्य के लिए ऐसे व्यक्तियों का चुनाव किया जाना चाहिए। जिनकी छवि सार्वजनकि क्षेत्र में स्वच्छ एवं निष्ठावान हो। चुनाव काल में काले धन के प्रयोग पर रोक लगाने के कारगर प्रयास होने चाहिए, जिससे राजनीति को अपराधों से मुक्त कराया जा सके। सत्तारूढ़ दल द्वारा चुनावों के परिणामों को अपने पक्ष में ला पाने के जोड़–तोड़ में सत्ता, पदतन्त्र, संचार माध्यम तथा प्रेस आदि को प्रभावित करने के आरोप मिलते हैं।

3 इस दिशा में ठोस प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। यह कार्य चुनाव आयोग को अधिक शक्तिशाली बना कर किया जा सकता है। निर्वाचन से सम्बन्धित याचिकाओं को निपटाने के लिए कार्यरत अदालतों में विशेष बेंच की स्थापना होनी चाहिए, जिससे सम्बन्धित प्रकरण अतिशीघ्र समय सीमा के अन्दर निपटाये जा सके।

4 चुनाव से सम्बन्धित अपराधिक आचरणों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए अलग से दण्डात्मक संहिता होनी चाहिए। निर्वाचनों में अनियमितता वर्तने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर दण्डात्मक व्यवस्था होनी चाहिए।

5 लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, इसके बावजूद कुछ चुनिंदा जाति या समुदाय को बहकाकर वोट हासिल करना या किभी धर्म गुरु का समर्थन पाकर सत्ता में आना लोकतंत्र में भी किसी धर्मतंत्र से कम प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में देश का लोकतंत्र कुछ–कुछ धर्मतंत्र में तब्दील होता जा रहा था।

6 लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र तो इसे सुरक्षित, शुद्ध और कारगर बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। यह विषय राजनीतिक दलों पर नहीं छोड़ा जा सकता।

7 सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर वोट मांगना गैर–कानूनी है और यह भ्रष्ट तरीका है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (3) की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने दो समान मामलों में की है। ये मामले अभिराम सिंह बनाम सीडी कोम्माचेन और नारायण सिंह बनाम सुंदरलाल पटवा के थे।

8 जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 की उपधारा 3 विशेषरूप से कहती है– किसी भी प्रत्याशी या उसके एजेंट या प्रत्याशी की सहमति से उसके किसी साथी या चुनाव एजेंट को धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर वोट नहीं मांगना चाहिए।

9 फैक्ट–संविधान की धारा 29 (2) में यह उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता।

10 चुनाव के समय पार्टी का कोई व्यक्ति प्रत्याशी के पक्ष में धर्म, जाति आदि का दुरुपयोग करता है, तो कानून के उल्लंघन का मामला बनेगा।

11 याचिका में उल्लेख किया था कि नोटा का भी चिन्ह होना चाहिए। विधानसभा चुनाव में नोटा का प्रचार बिल्कुल भी चुनाव आयोग ने नहीं किया। नोटा लोकप्रिय होगा तो राजनीतिक दलों में भी शुचिता आएगी। प्रमुख दल पढ़े–लिखे और बेदाग छवि के प्रत्याशी उतारेगी, जिन्हें जनता भी पसंद करेगी। नोटा को वोट का प्रतिशत ज्यादा रहेगा तो राजनीतिक दलों को

IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 1, September 2025 Impact Factor: 7.67

भी अपी गलतियों पर गंभीरता से मंथन करना होगा। अभी ईवीएम में नोटा केवल लिखा रहता है। उसका कोई चिन्ह नहीं है।

12 2014 के लोकसभा चुनाव में 60 लाख वोटरों ने नोटा चुना। ईवीएम इसलिए भी जरूरी 2.70 लाख पेड़ बचेंगे : 1996 में चुनाव बैलट पेपर से हुए थे, तब 8 हजार टन कागज संख्या 59.25 करोड़ थी आज यह संख्या 83.4 करोड़ से ज्यादा है। इस लिहाज से अब चुनाव बैलट पेपर से हों तो 11260 टन कागज लगेगा। रिसर्च बताती है कि एक टन कागज के लिए 24 पेड़ काटने पड़ जाते हैं ऐसे में 11260 टन कागज के लिए 2 लाख 70 हजार पेड़ों की बलि देनी होगी।

## fu"d"kr%

कहा जा सकता है कि उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि लोकसभा/विधानसभा चुनावों के माध्यम से अच्छी छवि वाले प्रत्याशियों का चुनाव किया जाय जो समाज के लोगों का सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहकर समाज का उत्थान करें और देश, प्रदेश एवं जिले स्तर पर समाज में व्याप्त बुराईयों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए और समाज के हर वर्ग को इन प्रतिनिधियों के माध्यम से अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, खाने–पीने की वस्तुओं को सुलभ उपलब्ध कराने के प्रति हमेशा जागरूक रहने की आवश्यकता है। ऐसे जनप्रतिनिधि के चुनाव से समाज में सर्वांगीण विकास की आवश्यकता बनी रहती है। तभी समाज निचले स्तर से ऊपर उठाकर समाज के समस्त पहलुओं पर ध्यान रखकर समाजोपयोगी कार्यों से प्रत्याशी चुनाव में अपनी विजय की पताका को लहरा सकता है। ऐसे प्रत्याशियों की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वही प्रत्याशी समाज के लिए बेहतर होता है। इन्हीं बिन्दुओं को शोध प्रबन्ध में शोधानुसंधान करने का प्रयास किया गया है।

## lanHkZ lwph %&


1. ए. ओ. ह्यूम–राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत, रतन प्रकाश मंदिर, आगरा, 1947
2. एस.पी. वर्मा एवं इकबाल नारायण–वोंटिग विहेवियर इन ए जेजिंग सोसाइटी, दिल्ली 1973
3. एस.पी. वर्मा एवं सी.पी. भाम्भरी–इलेक्सन एण्ड पालिटिकल कांशियस नेस इंडिया, मीनाक्षी, मेरठ, 1967
4. एंग्स कैम्पबैल दिवोटर डिसाइड्स इवान्सटोन III रॉ पीटर्सन (1954) मतदान वयवहार।
5. एंगस कैम्पबैल (1880) : द सेन्स वेल – बींग इन अमेरिका रिसेन्ट पैटर्न एण्ड थेड न्यूयार्क मैक्ग्राहिल्स–1980
6. कश्यप, डॉ. सुभाष : भारतीय राजनीति में नए मोड़ दल–बदल और राज्यों में राजनीति, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया।
7. कुमार संजय एवं राय प्रवीण–मिजरिंग बोटिंग विहेवियर इन इंडिया, सेज पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, 2000
8. कोलमेन एण्ड एलमड–द पालिटिक्स आफ द डवलपिंग एरियाज, प्रा. लि. 1970
9. कौशिक, डॉ. बी.एम. एवं हीरवात चन्द्रा : राजनीति हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय।
10. गुप्ता डी. सी.–भारतीय शासन एवं राजनीति, बाधवा सेल्स कार्पोरेशन, नई दिल्ली, 1984
11. गुप्ता आर. एल.–इलेक्ट्रोरल पालिटिक्स इन इंडिया, डिस्कवरी हाउस नई दिल्ली–1–1985
12. गेना सी. बी.–तुलनात्मक राजनीति, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2007